भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2308
उत्तर देने की तारीख 03 अगस्त, 2026
12 श्रावण, 1948 (शक)

खेलो भारत नीति 2025

2308. श्री विष्णु दयाल राम :
श्री दुष्यंत सिंह :
श्रीमती बिजुली कलिता मेधी :
श्री आशीष दुबे :

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने देश भर में 'खेलो भारत नीति 2025' को लागू करने में कोई प्रगति की है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय खेल महासंघों, शिक्षण संस्थानों और अन्य हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए स्थापित तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार एशियाई और ओलंपिक खेलों में भारत की पदक संबंधी तैयारियों को मजबूत करने और देश के लिए पदक विजेता एथलीटों की एक सतत श्रृंखला तैयार करने के लिए 'खेलो भारत नीति' का उपयोग किस प्रकार कर रही है; और

(घ) उन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है, जिन्होंने अपनी खेल नीतियों को 'खेलो भारत नीति 2025' की परिकल्पना और उद्देश्यों के अनुरूप बनाया है या उन्हें इनके अनुरूप बनाने या तैयार करने की प्रक्रिया में हैं?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग) : खेलो भारत नीति, 2025 के अंतर्गत खेलों के विकास के लिए केंद्रीय मंत्रालयों, राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ), शैक्षणिक संस्थानों, निजी क्षेत्र तथा अन्य हितधारकों के बीच समाभिरूपता के माध्यम से सम्पूर्ण सरकार की रूपरेखा प्रदान की जाती है। इस नीति को मान्यता

प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों के साथ समन्वय से खेल विभाग तथा भारतीय खेल प्राधिकरण की विद्यमान स्कीमों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस नीति के अंतर्गत एथलीटों के जमीनी स्तर से लेकर उत्कृष्ट स्तर तक के विकास हेतु एक सुव्यवस्थित मार्ग उपलब्ध कराया जाता है ताकि आगामी ओलंपिक, पैरालंपिक तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारत के प्रदर्शन में सुधार किया जा सके तथा वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की तैयारियों में सहायता प्रदान की जा सके। इस नीति का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक अवस्था में प्रतिभा की पहचान, कोचिंग, खेल विज्ञान, खेल चिकित्सा, गुणवत्तापूर्ण खेल अवसंरचना तथा प्रतियोगिता एक्सपोजर में वृद्धि करना है। खेलो इंडिया, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई), टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता (एएनएसएफ) जैसी स्कीमों के माध्यम से सरकार प्राथमिकता वाली खेल विधाओं में एथलीटों का एक सतत प्रतिभा पूल विकसित कर रही है।

(घ) खेलो भारत नीति, 2025 के अंतर्गत प्रतिभा पहचान, संरचित प्रशिक्षण, खेल विज्ञान/ खेल चिकित्सा सहायता तथा राज्यों में वित्तपोषण तंत्र को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया है ताकि 2036 के ओलंपिक खेलों को दृष्टिगत रखते हुए एथलीटों का एक व्यापक प्रतिभा पूल तैयार किया जा सके। इस विभाग द्वारा विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की खेल नीतियों का खेलो भारत नीति, 2025 के अनुरूप होने के संबंध में आंतरिक रूप से मूल्यांकन किया गया है। अनेक राज्यों की खेल नीतियां इस नीति के साथ पर्याप्त रूप से अनुरूप हैं तथा इस विभाग ने अन्य राज्यों को भी अपनी खेल नीतियों को खेलो भारत नीति, 2025 के अनुरूप बनाने हेतु प्रोत्साहित किया है।
